

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक 856 / आर.1021 / 07 / व-1 / चार भोपाल दिनांक 7 / 11 / 2007  
प्रति:

शासन के समस्त विभाग  
मध्य प्रदेश

विषय:—आयोजना मद की योजनाओं तथा परियोजनाओं फार्मुलेशन परीक्षण  
तथा प्रशासकीय अनुमोदन हेतु व्यवस्था ।

संदर्भ:— इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 633 / आर.812 / चार / व-1 / 07  
दिनांक 3-8-2007

आयोजना मद के अंतर्गत विभागीय योजनाओं तथा परियोजनाओं के परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन हेतु स्थायी सक्षम समितियों के गठन संबंधी आदेश उक्त संदर्भित निर्देश द्वारा जारी किये गये है । इस आदेश की कण्डिका-11 में केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसान्तर्गत प्राप्त विशिष्ट प्रयोजन अनुदान से किये जाने वाले कार्यों एवं विदेशी सहायता प्राप्त कार्यों के परीक्षण तथा प्रशासकीय स्वीकृति की पृथक प्रक्रिया होने से इन से सम्बन्धित कार्यों एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि से कराये जाने वाले कार्यों को छोड़कर शेष सभी आयोजनान्तर्गत कार्यों एवं परियोजनाओं हेतु जारी निर्देश की व्यवस्था लागू होगी । "वायविलिटी गैप कण्डिका अंतर्गत क्रियान्वयन योजनाओं के परीक्षण हेतु भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित होने के कारण राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि ऐसी परियोजनाओं का परीक्षण सक्षम वित्तीय समिति द्वारा किये जाने की आवश्यकता न होगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
अजीत  
(ए.पी.श्रीवास्तव)  
सचिव  
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र. 857  
आ. 1021/07 व-1 चार, भोपाल दिनांक 7/11/2007  
पत्रिका

- 1- राज्यपाल, मध्य प्रदेश के आंचलिक राजभवन भोपाल
  - 2- सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल
  - 3- निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जजलपुर
  - 4- सचिव मुख्य मंत्री सचिवालय, भोपाल
  - 5- सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
  - 6- सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल
  - 7- आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल
  - 8- समस्त संभागीय आयुक्त,
  - 9- समस्त विभागाध्यक्ष
  - 10- समस्त जिलाध्यक्ष
  - 11- महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
  - 12- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्य प्रदेश  
ग्वालियर/भोपाल
  - 13- आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
  - 14- मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय भोपाल
  - 15- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन मध्य प्रदेश
  - 16- समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला मध्य प्रदेश
  - 17- समस्त कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पणित ।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग